भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 594

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

हरियाणा में एनएमसीजी के अंतर्गत परियोजनाएं

594. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) शोधित जल के पुन: उपयोग, जैव-विविधता संरक्षण और नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों के शोधन, विशेषकर हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में योगदान दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा में भिवानी-महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शोधित जल के पुन: उपयोग में वृद्धि करने और जल की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत कौन सी विशिष्ट परियोजनाएं अथवा पहलें आरंभ की गई है;

(ग) हरियाणा में ऐसे किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां ताजे जल पर निर्भरता कम करने के लिए शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग किया जा सकता है और भिवानी-महेंद्रगढ़ में इन क्षेत्रों में शोधित जल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं; और

(घ) हरियाणा में विशेषकर भिवानी-महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत शोधित जल के पुन: उपयोग, जैव विविधता संरक्षण और गंगा बेसिन में नदी के प्रदूषित क्षेत्रों के शोधन को बढ़ावा दे रही है।

एनएमसीजी द्वारा शोधित जल के पुन: उपयोग को बढावा देने और जल गुणवत्ता में सुधार हेतु गंगा बेसिन में निम्नलिखित पहलों की शुरूआत की गई है: -

• शोधित जल के पुन: उपयोग हेतु राज्यों उनकी पुन: उपयोग नीतियां तैयार करने और एक आर्थिक मॉडल स्थापित करने हेतु एनएमसीजी द्वारा शोधित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग संबंधी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।

• एनएमसीजी में शहरी नीति निर्माताओं और शहर के अधिकारियों के लिए सुरक्षित रूप से शोधित पानी के पुन: उपयोग संबंधी एक मार्गदर्शिका हैंडबुक भी है, जिसका उद्देश्य ताजे पानी के संसाधनों को संरक्षित करना और सतत जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना है;

• उल्लेखनीय है कि ट्रांस यमुना एसटीपी से गैर-पेय उद्देश्यों के लिए 8 एमएलडी शोधित जल की आपूर्ति मथुरा रिफाइनरी को की जाती है और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के दो थर्मल संयंत्र और झारखंड के जोजोबेरा थर्मल पावर प्लांट निकट के एसटीपी के शोधित जल का उपयोग कर रहे हैं।

हरियाणा में, इस संबंध में किए गए विशिष्ट उपायों में यमुनानगर के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन में शोधित जल के पुनः उपयोग हेतु पारवाला एंव बड़ी मजार एसटीपी और ऋषि नगर, हिसार एसटीपी की पहचान शामिल है।

एनएमसीजी ने पानीपत टेक्सटाइल क्लस्टर के प्रदूषण रोकने और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 19.85 करोड़ रूपये की लागत वाली एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है ताकी क्लस्टर के 45 उद्योगों में व्यापार संभावनाओं को इष्टतम किया जा सके। इस पायलट परियोजना का मुख्य और अंतिम उद्देश्य लक्षित टेक्सटाइल क्लस्टर से निकलने वाले अशोधित अपशिष्ट के निर्वहन से बचते हुए यमुना और गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार करना है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, हरियाणा में 145 एमएलडी एसटीपी क्षमता सृजित करने के लिए 217.9 करोड़ रूपये की लागत वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दोनों परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 217.9 करोड़ रूपये के व्यय के साथ कार्यात्मक हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा विकसित कार्य योजनाओं के माध्यम से हरियाणा के प्रदूषित नदी क्षेत्रों में सुधार किया जा रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और केंद्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

******